3
13-00

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख **Date on which application is made for copy accompanied by the requisite stamps**	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख **Date of posting notice on notice board**	नकल वापस दिये जाने की तारीख **Date of delivery of copy**	नकल वापस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर **Signature of official delivering copy**
56 / 30-7-19	30-7-19	30-7-19	30-7-19

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर आजमगढ़।

मु०नं० : T.201918060104544

बाबू नक्की सिंह स्मारक महाविद्यालय मोहब्बतपुर प्रबन्धक देवेन्द्र कुमार सिंह
बनाम
सरकार

अन्तर्गत धारा 80 उ०प्र०रा०सं० 2006
मौजा- मोहब्बतपुर, प०, मु०बाद
तह० सदर - आजमगढ़।
ता० नि०- निर्णीत

प्रतिलिपि- नकल आदेश दिनांक 30-7-19 की फोटो कापी संलग्न है।

P.T.O.

24

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :आजमगढ़,जनपद :आजमगढ़,तहसील :सदर
वाद संख्या :-04544/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201915060104544
बाबू नक्की सिंह स्मारक महीविर्दवालय मोहब्बतपुर प्रबन्धक देवेन्द्र कुमार सिंह बनाम सरकार
अतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

मौजा-मोहब्बतपुर,परगना-मुहम्मदाबाद, तहसील-सदर, जनपद-आजमगढ़।

निर्णय

प्रस्तुत वाद बाबू नक्की सिंह स्मारक महाविद्यालय मोहब्बतपुर प्रबन्धक देवेन्द्र कुमार सिंह पुत्र इन्द्रेश सिंह निवासी ग्राम मोहब्बतपुर द्वारा मौजा मोहब्बतपुर के खतौनी सन् 1410 से 1415 फसली के खाता संख्या 48 के गाटा संख्या 1045/0.913हे0 व 1047/1.448हे0 कुल रकबा 2.361हे0 मे से 1.000हे0 भूमि को गैर कृषिक भूमि घोषित करने हेतु दाखिल किया गया है। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में मौजा मोहब्बतपुर की उद्धरण खतौनी सन् 1410 से 1415 फसली एंव शपथपत्र एवं सहखातेदार द्वारा सहमति शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि का फोटोग्राफ व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है। तहसीलदार सदर श्री पवन कुमार सिंह से स्थलीय जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार सदर की जांच दिनांक 18.07.2019 निम्नवत है। बाबू नक्की सिंह स्मारक महाविद्यालय मोहब्बतपुर प्रबन्धक देवेन्द्र कुमार सिंह पुत्र इन्द्रेश सिंह निवासी ग्राम मोहब्बतपुर द्वारा मौजा मोहब्बतपुर के खतौनी सन् 1410 से 1415 फसली के खाता संख्या 48 के गाटा संख्या 1045/0.913हे0 व 1047/1.448हे0 कुल रकबा 2.361हे0 मे से 1.000हे0 में मौके पर विद्यालय संचालित हो रहा है। उक्त आराजी कृषि कार्य न करने से अकृषिक लगानमुक्त किए जाने योग्य है। उ0प्र0 के किसी भी राजस्व न्यायालय में किसी धारा में कोई वाद विचाराधीन नही है। प्रस्तावित गाटा के सन्दर्भ में धारा 133द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पूर्व में कोई वाद संस्थित नही हुआ था। प्रश्नगत गाटा किसी महायोजना मे प्रस्तावित नहीं है। ग्राम मोहब्बतपुर चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत हैं। उक्त भूमि को अकृषिक/आबादी घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है।

तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 18.07.2019 प्राप्त होने के उपरान्त मैंने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि, उपरोक्त भूमि कृषि या उससे संबंधित प्रयोजनो में प्रयुक्त नहीं की जा रही है बल्कि उक्त भूमि पर विद्यालय का संचालन हो रहा हैं। तहसीलदार सदर द्वारा निर्धारित उद्घोषणा शुल्क मु0 70000/-(सत्तर हजार रूपया मात्र) वादी द्वारा चालान नम्बर GUB3520 दिनांक 24.07.2019 द्वारा जमा कोष कर दिया गया है। न्याय शुल्क (कोर्ट फीस) सर्किल रेट के अनुसार आगणित मूल्य का 1 प्रतिशत 70000/-(सत्तर हजार रूपया मात्र) का गैर न्यायिक स्टाम्प प्रस्तुत किया गया है जो पत्रावली मे संलग्न हैं। तहसीलदार सदर की आख्या के

अनुसार अपेक्षित विधिक शर्ते पूर्ण है। उक्त आराजी नेजाई को अकृषिक एवं भू-राजस्व रहित भूमि घोषित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार सदर की जांच आख्या दिनांक 18.07.2019 के आधार पर ग्राम मोहब्बतपुर परगना मुहम्मदाबाद तहसील सदर जनपद आजमगढ की खतौनी सन् 1410 से 1415 फसली के खाता संख्या 48 के गाटा संख्या 1045/0.913हे0 व 1047/1.448हे0 कुल रकबा 2.361हे0 मे से 1.000हे0 जो बाबू नक्की सिंह स्मारक महाविद्यालय मोहब्बतपुर के नाम अंकित है उक्त भूमि को (वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु) अकृषिक एवं भू-राजस्व रहित भूमि घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अमलदरामद पत्रावली अभिलेखागार मे दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांकः 30/7/19

(प्रशान्त कुमार नायक)
उपजिलाधिकारी,सदर,
आजमगढ़।

यह आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया जाता है।

फोटोकापी
तुलनाकर्ता
रा० 370 30-7-19

(प्रशान्त कुमार नायक)
उपजिलाधिकारी,सदर,
आजमगढ़।

TRUE COPY
30-7-19
Court Reader to S.D.O. Sadar
AZAMGARH